L. A. BILL No. XXXI OF 2022.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961.

विधान सभा का विधेयक क्रमांक ३१ सन् २०२२ ।

महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

सन् १९६२ का महा. ५।

सन् २०२२ का महा. अध्यादेश क्र. ९ ।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करना आवश्यक हुआ था ; और इसलिए, महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, २०२२, १२ सितम्बर २०२२ को प्रख्यापित किया गया था ;

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है; अतः भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण ।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०२२ कहलाए।

(२) यह १२ सितम्बर २०२२ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

सन् १९६२ का महा. ५ की धारा ७५ख में संशोधन।

२. महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा ७५ख में, विद्यमान परंतुक, अपमार्जित किया जायेगा। सन् १९६२ का महा.५।

सन् १९६२ का महा. ५ की धारा ९१ख में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ९१ख में, विद्यमान परंतुक, अपमार्जित किया जायेगा।

सन् २०२२ का महा. अध्या. क्र. ९ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

४. (१) महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, २०२२, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०२२ का महा. अध्या. क्र. ९।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य

महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ (सन् १९६२ का महा. ५) की धारा ७५ख और ९१ख, राज्य सरकार को, जब सभी पीठासीन अधिकारियों के पद एकसाथ रिक्त होते है तब पदों की सभी शक्तियों का प्रयोग करने और सभी कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करने के लिए, **राजपत्र** में प्रकाशित कोई आदेश जारी करने के लिए सशक्त करती हैं। उक्त धाराओं के परंतुक, प्राधिकृत करने की अवधि, जो चार महीने से अनधिक होगी, के लिए उपबंध करते हैं और अपवादिक परिस्थितियों में, उक्त अवधि समय-समय से बढ़ायी जा सकेगी, परंतु कुल मिलाकर सम्पूर्ण अवधि छह महीने से अधिक नहीं होगी।

२. २५ जिला परिषदों और २८३ पंचायत समितियों की कालावधि मार्च, २०२२ में अवसित हो चुकी है, इसलिए, उक्त धारा ७५ख और ९१ख के परन्तुक के अधीन कोई आदेश जारी करके उक्त जिला परिषदों और पंचायत समितियों पर सरकार द्वारा प्रशासकों की नियुक्ति की गई है।

उक्त जिला परिषदों और पंचायत समितियों के निर्वाचन के पुनरीक्षित कार्यक्रम प्रक्रियाधीन था, तब विशेष अवकाश याचिका क्रमांक १९७५६/२०२१ में, उच्चतम न्यायालय ने, दिनांकित २२ अगस्त २०२२ के अपने आदेश द्वारा यह निदेश दिए हैं कि, पक्षकार, पाँच हप्तों की अवधि के लिए **यथापूर्व स्थिति** बनाए रखें।

३. उक्त जिला परिषदों और पंचायत समितियों पर नियुक्त किए गए प्रशासकों का अवधि सितम्बर २०२२ के महीने में अवसित हो गई थी। तथापि, उक्त जिला परिषदों और पंचायत समितियों का निर्वाचन, उच्चतम न्यायालय के आदेश के कारण, उक्त अवधि के अवसित होने के पूर्व नहीं लिये जा सकें। इसलिए, महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ की उक्त धाराएँ ७५ख और ९१ख के परंतुक, जो प्रशासकों की नियुक्ति के लिए अधिकतम अवधि का उपबंध करते हैं, का अपमार्जन करना इष्टकर समझा गया हैं।

४. चूँकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः यह महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, २०२२ (सन् २०२२ का महा. अध्या. क्र. ९) १२ सितम्बर २०२२ को प्रख्यापित किया गया था।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई,
दिनांकित ६ दिसंबर, २०२२।

गिरीश महाजन,
ग्राम विकास मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,
नागपूर,
दिनांकित १२ दिसंबर, २०२२।

राजेन्द्र भागवत,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा ।

शासकीय मुद्रणालय, नागपूर.